न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण क्रमांक 1656/दो/2013 विरूद्ध आदेश, दिनाक 11.2.13 पारित द्वारा तहसीलदार मैहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 218/अ–27/11–12

रामावतार चौरसिया तनय स्व. श्री रामकृपाल चौरसिया
पेशा बकालत सा0 वार्ड नं0 8 चौरसिया मोहल्ला मैहर
जिला सतना म0प्र0।

.....आवेदक

विरूद्ध

1 बाला प्रसाद तनय मेघी प्रसाद चौरसिया,
निवासी वार्ड क्रमांक 8 चौरसिया मोहल्ला तह0 मैहर,
जिला सतना।
2 म0 प्र0 शासन

.....
अनावेदकगण

श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री उमेश पटेल, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-03-2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मैहर के प्रकरण कमांक 218/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 11.2.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसे आगे संहिता कहा जावेगा ।

2./ प्रकरण का सांराश यह है कि रामावतार (जो इस न्यायालय में निगराकार है तथा तहसील न्यायालय में मूल आवेदक था) के आवेदन पर, ग्राम घुरपुरा की आ0नं0408 रकवा 0.449 आरे एवं आ0नं0 409 रकवा 0.648 है0 भूमि के सहखातेदार होने के प्रकाश में, उक्त भूमि के आधे भाग पर रामावतार का बंटवारा, इस न्यायालय के अनावेदक बालाप्रसाद सहित 16 व्यक्तियों की सहमति होना मानते हुए तहसीलदार द्वारा उनके प्रकरण कमांक 218/अ–27/11–12 में आदेश दिनांक 17–12–12 से स्वीकार किया गया ।

रामावतार के आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार न्यायालय से उक्तट बटवारा आदेश पारित हो जाने के बाद दिनांक 11–2–13 को बालाप्रसाद चौरसिया द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि विवादित भूमि में आवेदक रामअवतार का हिस्सा 1/2 न होकर 1/5 है और आवेदक रामअवतार द्वारा न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश दिनांक 17–12–12 के माध्यम से आधे हिस्से का बटवारा अपने हित में स्वीकृत कराया गया है । अतः आवेदक का हिस्सा 1/2 की बजाए संशोधित कर हिस्सा 1/5 पर बंटवारा किया जावे ।

तहसीलदार द्वारा अनावेदक बाला प्रसाद के धारा 32 के आवेदन के आधार पर अपने पूर्व आदेश दिनांक 17–12–12 को शून्य घोषित करते हुए उनके न्यायालय के मूल प्रकरण कमांक 218/अ–27/11–12 में ही एक और आदेश दिनांक 11–2–13 को पारित कर भूमि को पूर्ववत रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय लिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश दिनांक 11–2–13 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तुत तर्को के दौरान निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्को में आवेदन दिनांक 11.2.13 जो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था में अंकित तथ्यों को ही दुहराया गया। तथा निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 11.2.13 का परिशीलन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

इसके आधार पर मैंने यह पाया कि तहसीलदार द्वारा पहले आवेदक रामावतार के आवेदन पर बटवारे की कार्यवाही करते हुए तहसील न्यायालय में रामावतार के हित में विवादित भूमि के आधे भाग का बटवारा अनावेदक पक्ष की सहमति मानते हुए, स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 17.2.12 को पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 17.2.12 के संबंध में दिनांक 11.2.13 को (इस न्यायालय में अनावेदक) बाला प्रसाद द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अवगत कराया गया कि आवेदक रामावतार विवादित भूमि में 1/2 भाग का हिस्सेदार न होकर मात्र 1/5 भाग का हिस्सेदार है अतः पूर्व बटवारा आदेश दिनांक 17.2.12 में संशोधन कर आवेदक रामावतार के हक में हिस्सा 1/5 पर बटवारा स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार द्वारा उसी दिनांक 11.2.13 को संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुए पूर्व बटवारा आदेश दिनांक 17.12.12 को निरस्त कर शून्य घोषित किया

जाकर उक्त भूमि को पूर्ववत पटवारी अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिनांक 11.2.13 को दिए गये। जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में विचाराधीन है।

संहिता की धारा 32 के प्रयोग के संबंध में (भागीरथ वि. हरनाथ सिंह 1984 रा.नि. 373) में यह प्रतिपादित किया गया है कि "न्यायालय को धोखा दिया गया या कपट किया गया, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार (राजमणि वि. अयोध्या प्रसाद 1992 रा.नि. 197 डीबी(राजस्व मण्डल) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "स्वयं न्यायालय द्वारा की गयी भूल या गलती का परिणाम किसी पक्षकार को हानि नहीं उठाने देना चाहिए, धारा 32 का प्रयोग किया जा सकता है। आदेश के निरस्तीकरण पर पूर्व स्थिति में मामले की स्थापना हेतु धारा 32 का प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त के प्रकाश में मेरा यही मानना है कि तहसीलदार द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से अपने पहले आदेश दिनांक 17.12.12 को शून्य घोषित कर भूमि को पूर्ववत पटवारी अभिलेख में दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 11.2.13 को जारी किया गया है वह उचित है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त न्यायसिद्धांतों के प्रकाश में तहसीलदार का आदेश दिनांक 11.2.13 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के संबंध में यदि आवेदक एवं अनावेदक अपने–अपने हकं के संबंध में स्वत्व संबंधी अभिलेखों के साथ बटवारे का आवेदन नये सिरे से प्रस्तुत करते हैं तो उस पर विधि संगत विचार करते हुए हक संबंधी अभिलेख के प्रकाश में उभयपक्ष को एवं समस्त हितवद्ध पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत बटवारे की कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत आदेश पारित करें। इसके साथ ही उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वे भी यदि चाहें तो

अपने–अपने हक एवं स्वत्व संबंधी अभिलेख के साथ उक्त विवादित भूमि के संबंध में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बटवारे की कार्यवाही संपन्न करा सकते हैं। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण अस्वीकार कर समाप्त किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर